भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1571

09.02.2026 को उत्तर के लिए

देश में औद्योगिक प्रदूषण

1571. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में औद्योगिक प्रदूषण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) औद्योगिक बहिस्त्राव और अपशिष्टों के निर्वहन के कारण नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नदियों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करने के लिए मौजूदा कानूनों के अंतर्गत दंड से संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार राज्य से होकर बहने वाली नदियों के विशेष संदर्भ में विगत पांच वर्षों के दौरान देश में नदी-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रमुख नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरूद्ध कितने उल्लंघनों का पता चला है और कितनों पर कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 6,09,886 उद्योग मौजूद हैं। इनमें से 5,44,364 उद्योग प्रचालनरत हैं। इन प्रचालनरत उद्योगों में से 23,981 उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए पाए गए, जिनके विरुद्ध एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई (बंद करने के निदेश: 3600; कारण बताओ नोटिस: 13718; कानूनी मामले दर्ज: 229; और निर्देश: 6434)।

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं-

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), एसपीसीबी/पीसीसी के समन्वय से, वर्तमान में देश भर में 2265 नदी स्थलों सहित 4,922 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।

- सीपीसीबी ने नदियों के जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) पैरामीटर के संबंध में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की है। 3 मिलीग्राम/लीटर से अधिक बीओडी सांद्रता वाले क्षेत्रों को प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है। इन प्रदूषित नदी खंडों को प्राथमिकता

वर्ग I से V के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जहां प्राथमिकता वर्ग- I बीओडी का मान 30 मि.ग्रा./ली. से अधिक होने पर सर्वाधिक प्रदूषित और प्राथमिकता वर्ग V बीओडी का मान 3-6 मि.ग्रा/ली. होने पर न्यूनतम प्रदूषित खंड को दर्शाता है।

- अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंडों के आधार पर और इन प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की नदी पुनरुद्धार समितियाँ (आरआरसी) बनाई हैं; ये आरआरसी प्रधान सचिव, पर्यावरण की निगरानी और समन्वय के अधीन कार्य करती हैं।

- ये आरआरसी अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंडों के पुरुदधार हेतु कार्य योजनाएँ बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण सहित प्रदूषित नदी खंडों के स्थल की गुणवत्ता को स्नान योग्य स्तर (अर्थात् बीओडी <3 मि.ग्रा/ली.) तक लाने के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की गईं हैं। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी और केंद्रीय स्तर पर सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

- भारत सरकार ने जल (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किए और उक्त अधिनियमों के आधार पर जल निकायों की सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न नियम, विनियम अधिसूचित किए।

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, बहि:स्राव जल और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के उपबंधों के अनुसार, उत्पन्न करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां और अन्य प्रतिष्ठान नदियों और जल निकायों में अपशिष्ट निसर्जित करने से पहले निर्धारित मानकों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की निगरानी करते हैं और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं। सीपीसीबी ने जल निकायों की बहाली/पुरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को मार्गदर्शन के रूप में 'जल निकायों की बहाली के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश' जारी किए।
- भारत सरकार ने जल निकायों में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सामान्य निस्सरण मानक और उद्योग विशिष्ट अपशिष्ट निस्सरण मानक निर्धारित किए हैं।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम, 1974 के अध्याय VII और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अध्याय III के उपबंधों के तहत, नदियों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करने के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं।

(घ) पिछले पांच सालों के दौरान देश में प्रमुख नदियों, विशेष रूप से बिहार राज्य से होकर बहने वाली नदियों को प्रदूषित करने वाल उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई का नदी एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित है;

एसपीसीबी द्वारा अनुपालन न करने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के विरुद्ध जारी किए गए बंद करने संबंधी निदेशों को संबंधित जिला प्रशासनों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समन्वय से प्रवर्तित किया गया था, और पिछले पांच वर्षों के दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित ऐसे जीपीआई का ब्यौरा, जिनमें बिहार राज्य के जीपीआई भी शामिल हैं, निम्नानुसार है:

राज्य	**वर्ष 2019**	**वर्ष 2020**	**वर्ष 2022**	**वर्ष 2023**	**वर्ष 2024**
बिहार	9	2	3	5	7
झारखंड	1	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	118	176	166	230	3
उत्तराखंड	2	4	6	2	80
पश्चिम बंगाल	1	5	3	2	8
कुल	131	187	178	239	98

***नोट**: कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2021 के वार्षिक निरीक्षणों को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है।*

इसके अलावा, एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कुल 4,498 जीपीआई हैं। इनमें से 3,637 उद्योग कार्यरत हैं। इन कार्यरत उद्योगों में से 601 उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए पाए गए, जिनके विरुद्ध एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई (बंद करने के निदेश: 29; कारण बताओ नोटिस: 571; निदेश:1)।

****